(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त	मुकाम	कोटा
अमरचंद आ0स्व0 बाबूलाल भील, तोताराम आ0 स्व0 बाबूलाल जाति भील निवासीगण ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी।		बनाम	मैसर्स न्यू ओम सांई स्टोन ग्राम डाबी द्वारा भागीदार भरत झामनानी पुत्र श्री परसराम झामनानी जाति सिंधी नि0 मकान नं0 627 शास्त्रीनगर दादाबाडी कोटा, वगेरा।
किस्म मुकदमा	अपील धारा 76 एलआरएक्ट	नं. 85	2018

जिला– बूंदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.9.2018	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता के अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम में रेस्पो0 मैसर्स न्यू ओम सांई स्टोन भागीदार भरत झामनानी आदि के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तालेडा द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 7.9.18 के विरूद्ध मेसर्स ओम सांई स्टोन ग्राम डाबी भागीदार भरतझामनानी द्वारा विरूद्ध अमरचंद आ0 बाबूलाल वगेरा के न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी मे प्रस्तुत अपील मे पारित आदेश दिनांक 12.9.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता एवं अपील पत्रावली तथा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तालेडा दिनांक 7.9.18 एवं न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा अपील प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 12.9.2018 का अवलोकन किया तथा बहस एडमिशन अभिभाषक अपीलार्थी पर मनन किया। प्रकरण मे तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.9.2018 के विरूद्ध अमरचंद,तोताराम द्वारा जरिये अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के केवियट प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 148 सीपीसी का पेश किया हुआ है जो संलग्न अपील है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.9.2018 की सुनवाई का श्रृवणाधिकार न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी को प्रदत्त नही है ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होना प्रकट होने से न्यायहित मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 12.9.2018 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी प्रकरण मे उभय पक्षकार को सर्वप्रथम श्रेत्राधिकार के बिन्दू व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर इसी स्टेज पर निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेशिका की एक प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी को प्रेषित की जावे। (प्रियंका गोस्वामी) अति0 संभागीय आयुक्त कोटा	